

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बायतु जिला- बाड़मेर
पीठारसीन अधिकारी श्री सज्जनराम आर.टी.एस

प्राथी

बनाम

विप्राथी

राजस्थान सरकार
पटवारी हल्का छीतर का पार

कौम हनुमान राव नेकावत
निवासी उज्जपट्ट
छीतर का पार

मुकदमा नम्बर १०/2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1958

निर्णय


दिनांक 11.11.2020

पत्रावली आज पेश हुई। विप्राथी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विप्राथी द्वारा संवत् 2076 में ग्राम छीतर का पार के खसरा नम्बर 570/258 कुल रकबा 76.10 बीघा भूमि में से 2400 वर्ग फीट किस्म गै. मु. बेरी भूमि पर अनाधिकृत रूप से काश्त/कब्जा कर लिया गया है। पटवारी हल्का छीतर का पार द्वारा रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्राथी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्राथी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है। ग्राम पंचायत छीतर का पार द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 197/16 व 198/16 तरमीम शुद्धी व स्थगन से सम्बन्धित आवेदन को दिनांक 05.11.2020 को खारीज किया गया है। विप्राथी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्राथी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान 0.10 रु गुणा जुर्माना रु 100/- अखरे एक सौ रूपये मात्र किया जाता है। जो विप्राथी से वसूल हो। विप्राथी को मोकें तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का व त.रा.ले. तहसील हाजा आदेश से सूचित हो, पत्रावली फैसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 11.11.20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


तहसीलदार एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट बायतु